श्री ए० पो० जैन: वह तो यहीं पर पास हुआ है और माननीय मेम्बर तो उस समय मौजूद होंगे, वह रक्षम तेंतीस करोड़ और कुछ है।

सेठ गोबिन्द दास : उसमें से जो इस साल खर्च होने वाला है, उसमें से जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना खर्च होने वाला है और जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना खर्च होने वाला है, उसका कोई अलग २ हिसाब है ?

श्री ए० पी० जैन : मोटे तौर से अगर दो रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए पुरुषाधियों पर खर्च होगा तो एक रुपया पूरब से आये हुए पुरुषाधियों पर खर्च होगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य-प्रदेश में जहां २ पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोग बसे हैं उन पर कुछ भी खर्चा नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्घ में माननीय मंत्री जी को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं ?

श्री ए० पी० जैन: कई शिकायतें तो नहीं पेश की गयीं, लेकिन माननीय मेम्बर ने स्वयं एक शिकायत पेश की थी, उसके बारे में मैंने मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट से पूछा है और मध्य प्रदेश की सरकार अगर कुछ देना जरूरी समझेगी तो मुझे वह लिखेगी और तब मैं सोचूंगा कि क्या देना है और क्या नहीं देना है।

सेठ गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट को कब लिखा था और उसका उत्तर कब भिला? श्री ए० पी० जैन: बस, जब माननीय मेम्बर ने शिकायत की थी, उसी के बाद लिखा था।

सेट गोविन्द दास: क्या यह बात सही है कि गवर्न मेंट का इसको लिखे हुए तीन महीने गुजर चुके हैं और अभी तक कोई उत्तर माननीय मंत्री जी को वहां से नहीं मिला ?

श्री ए० पी० जैन : तीन महीने तो माननीय मेम्बर से मेरी मुलाक़ात हुए भी नहीं हुए ।

Mr. Speaker: I think everybody, including the Ministers should make it a point to address the Chair direct. I also take this opportunity of remarking that, many times, in replying hon. Ministers are addressing members as "You". That is wrong and is not the parliamentary method.

## वक्फों और न्यासों को संपत्तियों का हस्ततारण

\*१६७५. सेठ गोबिन्द दास : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, निष्क्रमणार्थी संपत्ति विधियों की पकड़ में आने से बचने के लिये अपनी संपत्तियां वक्फ़ों और न्यासों को हस्तांतरित कर दी हैं?

(ख) यदि पता है, तो क्या इस विषय की जांच की गयी है ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): (a) and (b). A few such cases came up before Custodians and after making necessary investigation, such action as was permissible under law was taken.

सेठ गोविन्द दास : इस तरह के कोई मामले माननीय मंत्री जी के सामने आये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय मंत्री के सामने तो नहीं आये लेकिन हां कस्टोडियन के सामने आये हैं और मेरी इत्तला यह हैं कि १९ प्रदेशों में जिनके बारे में मेरे पास खबर आई हैं कुल आठ ऐसे मामले आये।

सेठ गोविन्द दास : क्या कस्टोडियन के पास जो मामले आते हैं वे बाद में माननीय मंत्री जी के पास नहीं पहुंचते हैं ?

**भी ए० पी० जैन** : नहीं।

सेठ गोविन्द दास: तो क्या इन मामलों पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार कस्टोडियन को रहता हैं ?

श्री ए॰ पी॰ जैन: इसके बारे में तो इस भवन ने क़ानून पास किया कि जितने इस किस्म के मामले होते हैं वह पहले ऐसिस्टेन्ट कस्टोडियन के पास जाते हैं फिर कस्टोडियन के पास और फिर कस्टोडियन जेनरल के पास। इस में मंत्री को तो कोई इस किस्म का अधिकार दिया ही नहीं गया और न उसकी इस बारे में जिम्मेदारी ही रक्सी गयी थी कि वह इस तरह के मामलों की फ़ेहरिस्त बनाये, हां आम तौर पर खबर मिलती रहती हैं।

सेठ गोविन्द दास : जो आठ मामले इस किस्म के आये हैं वह कितने रुपये की जायदाद के मामले थे ?

श्री ए० पी० जैन : वह तो सभी जायदादों के मामले थे।

सैंठ गोविन्द दास : कितने रुपये के वें ? श्री ए० पी० जैन : यह तो मुझे नहीं मालूम । हजारों मामले होते हैं किस किस के बारे में याद रखी जाये।

## JUTE GOODS

- \*1676. Shri A. C. Guha: Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:
- (a) the quantity of jute goods ordered from and shipped to foreign countries during the first 4 months of 1950, 1951 and 1952;
- (b) the cost price of Indian Jute goods as compared with the cost price of jute goods produced in other countries;
- (c) whether there has been any attempt to introduce up-to-date methods and machineries in the Indian Jute Industry; and
- (d) if so, what they are and how far these have been given effect to?

The Minister of Commerce and Industry (Shri T. T. Krishnamachari):
(a) Shipments of jute goods during the first 4 months of 1950, 1951 and 1952 were 2.37, 2.08 and 2.56 lakh tons respectively. No record can obviously be maintained of orders received by the Trade from abroad.

- (b) The cost price of jute goods varies from mill to mill and country to country, and no exact comparison is possible. Nor indeed is complete information regarding costs available. However, the fact that our industry can bear an export duty is sufficient evidence to indicate that the cost of Indian made jute goods is still the lowest in the world.
- (c) and (d). The question of modernisation of jute mills is receiving active consideration by the industry as well as the Planning Commission. No schemes have yet been formulated.
- Shri A. C. Guha: Has there recently been a conference of the representatives of the Indian Jute Mills Association and the Government, and if so, what has been the result of that conference and those consultations?
- Shri T. T. Krishnamachari: There has been recently a meeting of members of the Jute Mills Association and some officers of the Ministry of Industry and Commerce and the Members of the Planning Commission. I think it is still in the stage of talks.